न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज़॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुआ बनाम दौलत S/O रामजीत जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या – 64/18/RA   निर्णय दिनाँक :– 26-3-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीतफिरेला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-19 किस्म जमीन गै०मु०शमशान से 0-01 रकबे पर श्री दौलत S/O रामजीत जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुआ द्वारा दिनाँक 27/8/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दौलत S/O रामजीत जाति जाट निवासी अरुआ को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 क तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. .... रकबा .... में से .... रकबे किस्म गै०मु०शमशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी (Three Rs.) वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुआ भू.अ.निरी. .... दरौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :– प॰ E को पालनार्थ
पत्रावली जमला पेश हो।